



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 आश्विन 1938 (श0)

(सं0 पटना 813) पटना, बुधवार, 5 अक्टूबर 2016

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचनाएं

30 सितम्बर 2016

एस0ओ0 257, दिनांक 5 अक्टूबर 2016—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची-1(ब)के स्तंभ-2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं। अनुसूची -1(ब) के स्तंभ -02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची-1(अ) के स्तंभ-01 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा-2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची 1(अ) के स्तंभ-04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

अनुसूची-1 (अ)

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2001-100)	आधार वर्ष परिवर्तन हेतु लिक फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960-100)
जनवरी, 2016	269	4.63 X 4.93	6140.16
फरवरी, 2016	267	4.63 X 4.93	6094.51
मार्च, 2016	268	4.63 X 4.93	6117.34
अप्रैल, 2016	271	4.63 X 4.93	6185.81
मई, 2016	275	4.63 X 4.93	6277.12
जून, 2016	277	4.63 X 4.93	6322.77
योग :-			37137.71

औसत :- $37137.71 \div 6 = 6189.61$

अनुसूची- I (ब)

अनुसूचित नियोजन का नाम	अधिसूचना संख्या - 2778, 2779 दिनांक 28.09.2011 गजट सं0-558 दिनांक 29.09.2011	कुल
69 नियोजन- सामान्य कार्य		69- अनुसूचित नियोजन

(1) कॉ-ऑपरेटिव सेक्टर - (2) अल्मुनियम उद्योग (3) खंडसारी उद्योग (4) केमिकल एंड फर्मास्यूटिकल उद्योग (5) साबुन निर्माण उद्योग (6) सिमेन्ट प्री-स्ट्रेटेडेड प्रोडक्ट्स उद्योग (7) एस्वेस्टस सिमेंट उद्योग (8) ग्लास शीट निर्माण (9) बन्दूक करखाने (10) धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान (11) पेपर उद्योग (12) लौण्डीज एंड वासिंग (13) होजियरी निर्माण (14) सिन्दुर एवं रंग बनाने का उद्योग (15) चर्म वस्तु निर्माण (16) उड वर्क्स फर्नीचर (17) आइस्क्रिम एवं कोल्ड ड्रिंक्स (18) पेट्रोल एवं डिजल पम्पस (19) फिशरीज (20) खादी एवं ग्राम उद्योग (21) प्राईवेट फेरीज एंड एल.टी.सी (22) जिल्दसाजी उद्योग- (23) दफ्ती, कार्ड बोर्ड, मील बोर्ड कारगोरेक बोर्ड, एक्सट्रा बोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण (24) इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग (25) सिमेंट ह्यूम पाईप, बिजली का खंभा एवं रेलवे स्लीपर बनाने का उद्योग (26) प्लाईउड उद्योग (27) बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फ्लोरोरेन्स ट्यूब निर्माण उद्योग (28) ढलाई (फाउन्ड्री) उद्योग (29) रबड एवं कम्पाउंड उद्योग (30) बिस्कुट उद्योग (31) कोल ब्रिकेट उद्योग (32) सिलाई उद्योग- (33) हैंडलूम उद्योग- (34) निजी अस्पताल, नर्सिंग होम्स एवं क्लीनिक्स- (35) डिस्ट्रीलरीज- (36) प्लास्टिक उद्योग- (37) मिनरल ग्राइडिंग उद्योग (38) शीशा उद्योग (ग्लास शीट छोडकर) (39) डेयरीज एवं पॉल्ट्री फार्मश- (40) स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण (41) चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं- (42) चावल मिल, आटा मिल एवं दाल मिल- (43) तेल मिल- (44) मुद्रणालय- (45) किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान- (46) पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट- (47) ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले- (48) कोल्ड स्टोरेज- (49) लघु अभियंत्रण उद्योग (स्वचालित दूकान को छोडकर 50 से कम कामगार नियोजित करने वाले)- (50) बांध निर्माण एवं सिंचाई कार्य- (51) सड़को के निर्माण या अनुरक्षण अथवा भवन निर्माण कार्य- (52) बेकरीज एवं कन्फेक्सीरीज- (53) पकाई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानें- (54) होटल, भोजन गृह एवं रेस्तराओं- (55) अबरख कार्य (खादान को छोडकर)- कारखाना एवं प्रतिष्ठान (56) सिनेमा उद्योग- (57) किसी भी विश्वविद्यालय शैक्षणिकशोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान- (58) प्राईवेट सिक्क्यूरिटी एजेन्सी- (59) रिफ्रेक्ट्रीज, फायर त्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग- (60) पौट्रीज- (61) औटोमोवाईल इंजिनियरिंग शौप्स- (62) हार्ड कोक भट्टे- (63) कूरियर सेवा (64) चूड़ा मिल (65) इलेक्ट्रोकार्स्टिंग एवं मेटल फरनिशिंग उद्योग (66) अभियंत्रण उद्योग (50 से अधिक कामगार नियोजित करने वाले) (67) लोहा से छड़ पट्टी, एंगल आदि रोलिंग का कार्य (68) जूट उद्योग एवं अनुसंगिक कार्य (69) सूचना एवं प्रौद्योगिक उद्योग।

अनुसूची -II

क्र० सं०	कामगारों की कोटि	निर्धारित न्यूनतम मजदूरी + दि० 01.04.2012 + 01.10.2012+ 01.04.2013 +01.10.2013+01.04.2014+01.10.2014+01.04.2015+01.10.2015+01.04.2016 से लागू परिवर्तनशील महँगाई भत्ता (रुपये में)	परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक- 01.10.2016 से प्रभावी होगी	01.10.2016 से प्रस्तावित कुल मजदूरी की दरें। (स्तंभ 3+4)
1	2	3	4	5
1.	अकुशल	144.00+7.00+6.00+11.00+8.00+8.00+2.00+8.00+3.00+9.00 =206.00	3.00	209.00 प्रतिदिन
2.	अर्द्धकुशल	150.00+8.00+6.00+11.00+9.00+8.00+2.00+9.00+ 3.00+9.00 =215.00	3.00	218.00 प्रतिदिन
3.	कुशल	183.00+9.00+8.00+14.00+11.00+9.00+2.00+11.00+4.00+11.00 = 262.00	4.00	266.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	223.00+11.00+9.00+17.00+13.00+12.00+3.00+ 13.00+ 5.00 +13.00= 319.00	4.00	323.00 प्रतिदिन
5.	पर्यवेक्षीय / लिपिकीय	4134.00+207.00+174.00+316.00+242.00 + 219.00+41.00+248.00+83.00+284.00 = 5912.00	83.00	5995.00 प्रतिमाह

परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होंगी जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हैं। उपर्युक्त सूचकांक में यथास्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस बिन्दु पर न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हो, तो निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का भुगतान उपर्युक्त दर से जुलाई-दिसम्बर, 2015 के औसत के आधार पर अप्रैल, 2016 से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाहीं के तीन महीने बाद से लागू होगा।

(सं० 5/एम०डब्लू०-403 /07 श्र०सं०-4183)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरूण कुमार नं०-1,
सरकार के अवर सचिव।

30 सितम्बर 2016

एस०ओ० 258, एस०ओ० 257, दिनांक 5 अक्टूबर 2016 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

(सं० 5/एम०डब्लू०-403 /07 श्र०सं०-4184)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरूण कुमार नं०-1,
सरकार के अवर सचिव।

The 30th September 2016

S.O. 257 dated the 5th October 2016—In exercise of the powers conferred by section-3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (B) of sub-section(1) of Section-5 of the said act, the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for Variable Dearness Allowance in the minimum rates of wages fixed/ revised for the different categories of employees employed in the scheduled employments mentioned in column-02 of schedule 1(B) here to appended for the months shown in column-1 of the said schedule shall be shown in column-04 of the schedule 1(A) for the purpose of clause (d) of section -02 of the said Act.

Schedule-1 (A)

Month & Year	Index N0 Base Year (2001-100)	Link Factor Change for base year	Changed Index No. for base year (1960-100)
1	2	3	4
January,2016	269	4.63 X 4.93	6140.16
February,2016	267	4.63 X 4.93	6094.51
March,2016	268	4.63 X 4.93	6117.34
April,2016	271	4.63 X 4.93	6185.81
May,2016	275	4.63 X 4.93	6277.12
June,2016	277	4.63 X 4.93	6322.77
Total			37137.71
Average :-			37137.71 ÷ 6 = 6189.61

SCHEDULE-I(B)

Name of employment		Total
69-General Work	Notification No. 2778, 2779 dated 28.09.2011 Gazette No.- 558 dated 29.09.2011	69 Scheduled Employment

(1) Co-operative Sector (2) Aluminum Industry (3) Khandsari industry (4) Chemical and Pharmaceutical Industry (5) Soap Making Industry (6) Cement Pre - stressed product Industry (7) Asbestos Cement Industry (8) GlassSheet Industry (9) Gun factories (10) Religious & Social Institution (11) Paper Industry (12) Laundry & washing (13) Hoseries Manufactory Corrugated Board, Straw (14) Manufacture of Sindur & Rang (15) Manufacture of Leather good (16) Wood works & furniture (17) Ice Cream and Cold Drinks (18) Petrol and Diesel Pump (19) Fisheries (20) Khadi and Village Industries (21) Private Ferries & LTC (22) Book binding Industry (23) Dafti, Card Board, Mill Board, Paper Board, Corrugated Board, Straw Board or Gatta Paper Boar Manufactory.(24) Electronics Industry (25) Cement Hume pipe, Electric pole and Railway Sleeper manufactures Industry (26) Plywood Industries (27) Electric and other type of Bulbs and Florence tubes (28) Foundry Industries (29) Rubber and Rubber Compound Industry (on which manufacture) (30) Biscuit Industry (31) Coal briquette Industry (32) Tailoring Industry (33) Handloom Industry (34) Private Hospitals, Nurshing Home and Clinic (35) Distilleries (36) Plastic Industries (37) Mineral Grinding Industry-(38) Glass Industries (excluding glass sheet) (39) Dairies and Poultry Farms (40) Manufacture of Gold, Silver Ornaments & article of artistic design.(41) Tanneries Leather Technology (42) Rice Mills, Flour Mills & Dal Mills (43) Oil Mills-(44) Printing Press (45) Any Shops or Establishment (46) Public Motor Transport-(47) Any woolen carpet making or shawl weaving establishment.(48) Coal Storage-(49) Minor Engineering Industry (excluding Automobile Engineering Shops less than 50 workers.) (50) Dam Construction & Irrigation (51) Construction or Manufactory of Road or in Building Construction (52) Bakeries and Confectioneries (53) Shops selling cooked food stuff (54) Hotels Eating House and Restaurants.-(55) Mica work(Factory & Establishment excluding Mine) 56-Cinema industry.(57) Any University, Educational, Research or cultural Institutions. (58) Private Security (59) Refectories Fire Bricks& Ceramic Industry. (60) Potteries (61) Automobile Engineering Shops (62) Hard Coke Industry (63) Currier Service (64) Frittered Rice (65) Electro Casting and Metal Furnishing (66) Engineering Industries (Employment more than

50 workers) (67) Rolling of Iron Rod, Plates, Angles etc., works (68) Jute Industry & Similar works (69) Information Technology.

SCHEDULE -II

Sl. No.	Categories of Workers	Minimum Wage Fixed + V.D.A from 01.04.2012+01.10.2012+ 01.04.2013+ 01.10.2013+ 01.04.2014+ 01.10.2014+ 01.04.2015+01.10.2015+ 01.04.2016 (In. Rs.)	Amount of V.D.A. which is effective from the date 01.10.2016	Total rates of wages effective from the date 01.10.2016 (Column 3+4)
1	2	3	4	5
1.	Unskilled	144.00+7.00+6.00+11.00+8.00+8.00+2.00+8.00+3.00+9.00 =206.00	3.00	209.00 Perday
2.	Semi skilled	150.00+8.00+6.00+11.00+9.00+8.00+2.00+9.00+ 3.00+9.00 =215.00	3.00	218.00 Perday
3.	Skilled	183.00+9.00+8.00+14.00+11.00+9.00+2.00+11.00+4.00+11.00 = 262.00	4.00	266.00 Perday
4.	Highly Skilled	223.00+11.00+9.00+17.00+13.00+12.00+3.00+13.00+ 5.00 +13.00 = 319.00	4.00	323.00 Perday
5.	Supervisory/Clerical	4134.00+207.00+174.00+316.00+242.00 + 219.00+41.00+248.00+83.00+284.00 = 5912.00	83.00	5995.00 Permonth

These rates of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages has been fixed/revised in the above scheduled employments. There will be increase or decrease in rates of wages shown in column -4 with rise or fall as the case may be in aforesaid index of the above scheduled employments and will be deemed as Variable Dearness Allowance components . But even if the Index fall below the point on which minimum rates of wages have been fixed / revised, there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised. The payment of variable Dearness Allowance on the basis of average index of **January-June,2016** will be payable at the aforesaid rates from **October, 2016** and thereafter increase or decrease in the amount of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index number for every six months and will be applicable after the expiry of three months after said period of six months.

(No. 5/ M.W.- 403 /07 L&R-4183)

By the order of the Governor of Bihar,

Arun Kumar No.-1,

Under Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 813-571+100-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>